उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-3
संख्या-30/2023/1076/77-3099/73/2023
लखनऊः दिनांकः 13 जुलाई,2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम,**1976** (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-6, सन् 1976) की धारा-3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-2484/77-3-11-94भा0/07टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर,**2011** का आंशिक उपान्तरण करके राज्यपाल एक प्राधिकरण का गठन करती हैं जिसे "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)" कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

| | | |
|---|---|---|
| (क) | अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन | अध्यक्ष |
| (ख) | मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण | सदस्य-सचिव |
| (ग) | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन या उसका नामनिर्देशिनी, जो संयुक्त सचिव से निम्न रैंक का न हो। | सदस्य |
| (घ) | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उसका नामनिर्देशिनी, जो संयुक्त सचिव से निम्न रैंक का न हो। | सदस्य |
| (ङ) | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उसका नामनिर्देशिनी, जो संयुक्त सचिव से निम्न रैंक का न हो। | सदस्य |
| (च) | सचिव/विशेष सचिव,अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन | सदस्य |
| (छ) | मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कानपुर | सदस्य |
| (ज) | अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण | सहायक सदस्य-सचिव |

2. पूर्वोक्त प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ होगा।

(नरेन्द्र भूषण)
प्रमुख सचिव।

1 यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।